रुक्टा (रा.)

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

Rajasthan University and College Teachers' Association-R

(अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से सम्बद्ध)

केन्द्रीय कार्यालय : देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर,जयपुर-302004

प्रधान कार्यालय : राजकीय महाविद्यालय, अजमेर-305 001 (राज.)

website: www.ructarashtriya.org **Email:** info@ructarashtriya.org

RUCTA (R)

अध्यक्ष
डॉ. मधुरमोहन रंगा
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
☎ (0145) 2429341, 9414008425

महामंत्री
डॉ. नारायणलाल गुप्ता
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
(मो.) 9414497042

पत्रांक : रुरा/ 36384-395 दिनांक: 12.3.14

प्रतिष्ठार्थ

माननीया राज्यपाल महोदया

राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय : विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षा कार्य के लिए दिये जाने मानदेय के संबंध में।

माननीया महोदया,

राज्य में अनेक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है जिनमें से बहुत से विश्वविद्यालयों से संबंधित अनेक राजकीय/अराजकीय महाविद्यालय प्रदेश में स्थित है। परीक्षा इन विश्वविद्यालयों का एक अभिन्न एवं महत्वपूर्ण कार्य है वैसे तो परीक्षा का संचालन प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने नियमों-उपनियमों के अनुसार करते हैं परन्तु परीक्षा कार्य महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं प्राध्यापकों के सहयोग से ही संभव हो पाता है। इस हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा मानदण्ड एवं मानदेय अलग-अलग है। इस संबंध में निम्नांकित तथ्य आप के समक्ष प्रस्तुत हैं -

1. अधिकांश विश्वविद्यालयों द्वारा देय, विशेषतः वे सभी विश्वविद्यालय जिनसे राजकीय महाविद्यालय संबद्ध है, परीक्षा कार्य की दरें अत्यन्त न्यून है। इन दरों में संशोधन किये हुए 12 वर्ष से अधिक समय हो गया है।
2. वर्तमान में वीक्षण दर 70/- रु., स्नातक उत्तर पुस्तिका जाँचने की दर 10/- रु. तथा स्नातकोत्तर उत्तर पुस्तिका जाँचने की दर 15/- रु. है, इसी प्रकार प्रश्न-पत्र निर्माण की दरें भी अत्यन्त न्यून है।
3. इतने वर्षों में विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस कई गुना बढ़ गई है। महँगाई दर (मूल्य सूचकांक) में भी काफी वृद्धि हुई है तथा इसके अनुसार रुपये के मूल्य में भी कमी आई है।
4. परीक्षा कार्य हेतु दिये जाने वाले मानदेय में वृद्धि नहीं करने के कारण प्राचार्यों को विश्वविद्यालय परीक्षा सुचारु रूप में एवं शुचितापूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने में अत्यन्त मुश्किल आ रही है।
5. पिछले वर्षों में प्रति परीक्षा केन्द्र परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ी है, किन्तु विश्वविद्यालय मानदण्डानुसार अपेक्षित संख्या में महाविद्यालय में वीक्षक नहीं होने के कारण प्रायः बाह्य व्यक्तियों को वीक्षण कार्य हेतु बुलाया जाता रहा है। वीक्षक को आधे घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर रिपोर्ट करना होता है, इस प्रकार कुल 3.30 घंटे की ड्यूटी के लिए 70/- रु. देय होते हैं (प्रति घंटा 20 रुपया), जो वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी की दर से भी कम होता है। इतनी न्यून दर के कारण जिम्मेदार योग्यताधारी वीक्षक उपलब्ध नहीं हो रहे है, जिससे इस बात पर गंभीर प्रश्न चिह्न लग गया है कि क्या परीक्षा शुचितापूर्ण ढंग से सम्पन्न हो रही है। क्या विश्वविद्यालयों को इस बात का अहसास है? या येन-केन प्रकरेण परीक्षाएं पूरा करवाना ही लक्ष्य है?
6. उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन एवं वीक्षण कार्य हेतु दिये जाना वाला ये मानदेय भी आयकर योग्य होता है। अतः

रुक्टा (रा.)

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

Rajasthan University and College Teachers' Association-R

(अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से सम्बद्ध)

केन्द्रीय कार्यालय : देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर,जयपुर-302004

प्रधान कार्यालय : राजकीय महाविद्यालय, अजमेर-305 001 (राज.)

website: www.ructarashtriya.org **Email:** info@ructarashtriya.org

RUCTA (R)

अध्यक्ष
डॉ. मधुरमोहन रंगा
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
☎ (0145) 2429341, 9414008425

महामंत्री
डॉ. नारायणलाल गुप्ता
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
(मो.) 9414497042

पत्रांक : रुरा/ दिनांक: .....

30 प्रतिशत आयकर देने के पश्चात् तथा विश्वविद्यालयों द्वारा टी.डब्लू.एफ. कटौती के पश्चात् शिक्षकों को प्रभावी रूप से वीक्षण हेतु 47/- रुपये तथा उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु 6/- रु. ही मिलते हैं। यह पैसा भी अधिकांश अवसरों पर एक वर्ष बाद मिल जाता है।

7. यहाँ तक कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा सैकण्डरी व सीनियर सैकण्डरी के परीक्षा कार्य हेतु देय राशि विश्वविद्यालयों द्वारा देय राशि से अधिक है। इस परिस्थिति में शिक्षकों में निराशा एवं आक्रोश का होना स्वाभाविक ही है।

राज्य के विश्वविद्यालयों की माननीय कुलाधिपति होने के नाते आपसे विनम्र आग्रह है कि स्थिति की आवश्यकता एवं गंभीरता को देखते हुए इसी सत्र से परीक्षा कार्य हेतु दिए जाने वाले मानदेय में समायनुकूल वृद्धि करवाने के निर्देश देकर परीक्षा कार्य एवं वीक्षकों के साथ न्याय कर अनुगृहित करें।

साभार

भवदीय

(डॉ. नारायण लाल गुप्ता)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा) राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव (उच्च शिक्षा) राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
5. माननीय कुलपति राज. वि.वि., जयपुर/म.द.स. वि.वि. अजमेर/ज.ना.व.वि.वि., जोधपुर/ मो. ला. सु. वि.वि., उदयपुर/कोटा वि.वि., कोटा/म. गं. वि.वि., बीकानेर

(डॉ. नारायण लाल गुप्ता)

9/c